

पं.सं. 447/25

31-10-25

कैम - भांडा

पत्र-६

Handwritten signature

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त निषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरुखवा की

जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 के खाता संख्या 6, 68 र 203

में मुझ जांघीया का नाम प्रेमी पत्नी रुपाल कुमावर के दाजवा का खेड़ा

उ.प.स. में प्रतीक रूप से प्रतीक रूप से प्रतीक रूप से
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमान की कृपा करें।

आदेश-० वाक्य सिद्ध

दिनांक-

०२ की लाल

प्रार्थी

प्रि. प्रेमी पत्नी



रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरुखवा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 के

खाता संख्या 203 में प्रार्थी का नाम प्रेमी पत्नी रुपाल कुमावर दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खेतदार का सही नाम प्रेमी देवी पत्नी रुपाल जाति कुमावर संशोधित किया जाना उचित है अध्याय ० आधार ०

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. 14/10/2025

ILR-मालमास

पटवारी के.रि.प.
14/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा स.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी के.रि.प. व भूअ.नि. मालमास एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरुखवा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 की खाता संख्या 203 (दाजवा का खेड़ा) में प्रार्थी का नाम प्रेमी पत्नी रुपाल के बजाय प्रेमी देवी पत्नी रुपाल कुमावर किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
व.के.डी.लाल

पत्र-६

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अ.स.स.स. ग्राम अरुखवा का खेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2076-77

खाता संख्या 203 में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रेमी पत्नी रुपाल के स्थान पर प्रेमी देवी पत्नी रुपाल कुमावर संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा

2025/538